उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-272/ग्यारह्-2-23-9(47)/17-टी.सी.209-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(266)-2023

लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

पूर्वोक्त अधिसूचना में अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"(iii) राब, उनसे भिन्न जिन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल किया गया हो ";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 मार्च, 2023 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव